रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/97 REGD. NO. D. L.-33004/97

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 3
PART I—Section 3

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 2] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, अक्तूबर 23, 1997/कार्तिक 1, 1919
No. 2] NEW DELHI, THURSDAY, OCTOBER 23, 1997/KARTIKA 1, 1919

रक्षा मंत्रालय

शुद्धिपत्र

नई दिल्ली, 23 अक्तूबर, 1997

संकल्प

सं. 3 (अ).—सशस्त्र सेनाओं के अफसर रैंक से निचले रैंक के कार्मिकों की परिलब्धियों, भत्ते और सेवाशर्तों की संरचना के संबंध में पाचवें वेतन आयोग की सिफारिशों के बारे में 16 अक्तूबर 1997 को भारत के राजपत्र में अधिसूचित इस मंत्रालय के 16 अक्तूबर 1997 के संकल्प में निम्नलिखित संशोधन किया जाता है :

"सरकार का निर्णय" नामक कालम के तहत अनुबंध के क्रम सं. 8 में

सेना में रंगरूट प्रशिक्षण के दौरान प्रशिक्षुवृत्ति लेते रहे हैं।

के स्थान पर

सेना, वायुसेना और नौसेना के रंगरूट प्रशिक्षण के दौरान वजीफा लेना जारी रख सकते हैं।

पढ़ें :

एम. एस. सोखंडा, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF DEFENCE

CORRIGENDUM

New Delhi, the 23 October, 1997

RESOLUTION

No. 3 (E).—The following amendment is made to this Ministry's Resolution No. 2E dated 16th October, 1997 notified in Gazette of India dated 16th October, 1997 regarding implementation of the recommendations of Fifth Central Pay Commission in respect of structure of emoluments, allowance and condition of service of Personnel Below Officer Rank (PBOR) of the Armed Forces.

In Sl. No. 8 of the Annexure under the column "Decision of the Government".

FOR The Army recruits may continue to receive stipend during training.

READ The Army, Air Force and Navy recruits may continue to receive stipend during training.

M. S. SOKHANDA, Jt. Secy.

2447-GI/97 Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054 — 1997